

## न्यायाधीशों की कमी को जल्द पूरा किया जाना चाहिए



भारत में न्याय देने में देरी का एक बहुत बड़ा कारण न्यायाधीशों की संख्या में कमी होना है।

- पांच उच्च न्यायालयों - इलाहाबाद, पंजाब और हरियाणा, गुजरात, बॉम्बे और कलकत्ता में लगभग 171 रिक्तियाँ हैं। यह 25 उच्च न्यायालयों में कुल 327 पदों की रिक्तियों का 52% से अधिक है।
- सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 1,114 है और 29.4% पद रिक्त हैं।
- उच्च न्यायालयों में लगभग 62 लाख मामले लंबित हैं।
- न्यायालयों की इन रिक्तियों के अनेक कारण हैं -
  1. न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 द्वारा होती है। न्यायाधीशों के चयन में इस्तेमाल की जाने वाली प्रणाली समय लेने वाली है।
  2. कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच नामों और अन्य कारकों को लेकर राजनीतिक खींचतान चलती रहती है।
  3. भारतीय न्यायाधीशों को विकसित देशों के उनके समकक्षों की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता है। इसलिए बहुत से लोग न्यायाधीश बनने के इच्छुक नहीं होते हैं।

अच्छे सार्वजनिक प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत कानूनी व्यवस्था महत्वपूर्ण है। इसलिए, इस संकट से निपटने के लिए अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायालयीन सुविधाओं के आधुनिकीकरण और प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि में वृद्धि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

'द इकॉनॉमिक टाइम्स' में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 4 मई, 2024

